**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 2311

उत्‍तर देने की तारीख: 15.03.2018

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया**

**2311. श्री संजय सिंहः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने विश्व भारती के कुलपति की नियुक्ति के निरसन के लिए और मंत्रालय द्वारा कुछ माह पूर्व स्वयं पैनल गठित किए जाने के बाद इस पैनल को भंग करने, जिसने अभ्यर्थी को चुना था, के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पैनल का गठन करने और किसी अभ्यर्थी की सिफारिश करने से पहले कारणों पर विचार क्यों नहीं किया गया था;

(घ) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में निर्धारित उपबंधों का उपर्युक्त मामले में पूर्णतया अनुपालन नहीं किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्यपाल सिंह)**

(क): सभी केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्‍ति भारत के राष्‍ट्रपति द्वारा उनकी केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों के विजिटर की हैसियत से संबंधित केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों को अभिशासित करने वाले अधिनियमों और संविधियों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्‍तुत एक पैनल में से की जाती है, अलीगढ़ मुस्‍लिम विश्‍वविद्यालय को छोड़कर जहां विश्‍वविद्यालय के कोर्ट द्वारा विजिटर को पैनल की सिफारिश की जाती है।

उपर्युक्‍त समिति को पैनल की सिफारिश करने का दायित्‍व सौंपा जाता है जिसमें सामान्‍यत: विश्‍वविद्यालय के सांविधिक निकायों जैसे कार्यकारी परिषद/प्रबंधन बोर्ड/कोर्ट के नामितियों के साथ विजिटर के नामिति शामिल होते हैं।

(ख) और (ग): विजिटर ने विश्‍व-भारती, जो राष्ट्रीय महत्व और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का संस्थान है, की बेजोड़ संस्कृति और परिवेश के अनुरूप नेतृत्व एवं अन्य गुणों से संपन्न व्यक्ति को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करने संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय द्वारा पैनल प्रस्तुति के पश्चात संज्ञान में आए नए तथ्यों पर विचार करने के पश्चात विश्व-भारती में कुलपति की नियुक्ति हेतु गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(घ) और (ड़): विश्‍व-भारती विश्‍व-भारती अधिनियम, 1951 द्वारा अभिशासित है। केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 2009 के प्रावधान विश्‍व-भारती पर लागू नहीं है।

\*\*\*\*\*